

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी,
जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांक:-ग्रे०नो०/आई.टी./2024/ 1434
दिनांक:- 03 / 10 / 2024

सेवा में,

M/s. Yashoda Hospital and Research Centre Ltd.
III-M, Nehru Nagar,
Ghaziabad-201001.

विषय:-आई०टी०ई०एस० योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्ड संख्या:-01, सैक्टर-टेकजोन-07, ग्रेटर नौएडा के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण में प्रेषित अपने पत्र दिनांक 24.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या-01, सैक्टर-टेकजोन-07, ग्रेटर नौएडा के संबंध में Regional Director (NR) द्वारा दिनांक 29.08.2022 को पत्रांक:-233/T-2(2022)/X17692005/7239 के माध्यम से पारित आदेश को सलंगन करते हुए आपके द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटन के समय आपकी कम्पनी का नाम यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि० था जोकि वर्तमान में डिर्मजर के माध्यम से यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स प्रा० लि० हो गया है। अतः आपके द्वारा उक्त नाम परिवर्तन को प्राधिकरण रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्राधिकरण में उपलब्ध कराये गये उपरोक्त सन्दर्भित Regional Director (NR) द्वारा दिनांक 29.08.2022 को पत्रांक:-233/T-2(2022)/X17692005/7239 के माध्यम से पारित आदेश एवं अन्य प्रपत्रों/ अभिलेखों के आधार पर प्राधिकरण रिकार्ड में दर्ज आपका नाम यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि० के स्थान पर यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स प्रा० लि० दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना ब्रोशर/आवंटन/पट्टा प्रलेख एवं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों में प्राविधानित शर्तें/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

नोट:- उक्त पत्र सम्परीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में आपको आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष गणना, नीति, अनुपालन अथवा कोई त्रुटि पायी जाती है तो तदानुसार निकलने वाली देयता को प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराया जाना होगा।

भवदीय,

(एन.के सिंह)

विशेष कार्याधिकारी (आई०टी०)

प्रतिलिपि:-

1. मैसर्स यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स प्रा० लि०, रजि० पता-एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ०प्र०-201010 को सूचनार्थ।

विशेष कार्याधिकारी (आई०टी०)